

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

तेजमल सुमन आत्मज श्री
रामनारायण जाति माली निवासी
केशोरायपाटन रोड गिरधरपुरा
तहसील लाडपुरा जिला कोटा
-वादी

बनाम 1.नट्टी बाई पत्नी हनुमान जी जाति माली निवासी
गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2.मोहम्मद मतीन पुत्र सैयद एजाज हुसैन जाति मुसलमान
निवासी मकान नं0 आकाशवाणी कॉलोनी कोटा
3.अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी
आकाशवाणी कॉलोनी कोटा
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा
-प्रतिवादी

--: वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955:--

मुकद्मा नं. 133/2018 (दावा)

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम नान्ता पटवार हल्का नान्ता तहसील लाडपुरा में स्थित आराजी ख०नं० 109 रकबा 0.76 है०, ख०नं० 111 रकबा 0.12 है० कुल 2 किता की 0.88 है० भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार फाइनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है-

| नाम खातेदार | ख० नं० | रकबा | दिशा |
|--|--------|------------|------|
| तेजमल सुमन पुत्र रामनारायण सुमन हि० पूर्ण जाति माली | 109/2 | 0.1520 है० | |
| | 111/2 | 0.024 है० | |
| | किता 2 | 0.1760 है० | |
| अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल रजाक हि० पूर्ण जाति मुसलमान | 109/5 | 0.1014 है० | |
| | 111/5 | 0.016 है० | |
| | किता 2 | 0.1174 है० | |
| एजाज हुसैन पुत्र अब्दुल रजाक हि० पूर्ण | 109/4 | 0.1013 है० | |
| | 111/4 | 0.016 है० | |
| | किता 2 | 0.1173 है० | |
| नट्टी बाई पत्नि हनुमान हि० पूर्ण माली | 109/1 | 0.3040 है० | |
| | 111/1 | 0.048 है० | |
| | किता 2 | 0.3520 है० | |
| मोहम्मद मतीन पुत्र सैयद एजाज हुसैन हि० पूर्ण | 109/3 | 0.1013 है० | |
| | 111/3 | 0.016 है० | |
| | किता 2 | 0.1173 है० | |

वाद के खर्चे लेखे ... X ...रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित Xद्वारा Xको दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 28 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा
कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा-0744-2325871

| वादी | वाद के खर्चे | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|
| | रूपये | प्रतिवादी | रूपये |
| 1. वादपत्र के लिये स्टाम्प | | शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प | |
| 2. शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प | | अर्जी के लिये स्टाम्प | |
| 3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय | |
| 5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय | | आदेशिका की तामील | |
| 6. कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7. आदेशिका की तामील | | | |


उपखण्ड अधिकारी
कोटा